I/27858/2024

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

दूरभाष (का0) 0135–2676260, E-Mail : cgm-js-ua@nic.in

आदेश संख्या : /वि0अनु0/02/प्ल0–रजि0/2024–25 दिनांक

कार्यालय आदेश

जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदनोंपरान्त कार्यालय आदेश संख्या–4289 दिनांक 31–03–2000 से उत्तराखण्ड जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत प्लम्बरिंग कार्यों हेतु लाइसेंस फीस/लाइसेंस नवीनीकरण फीस एवं जमानत राशि आदि की दरें पुनरीक्षित हैं। प्रायः यह देखा जा रहा है कि शाखाओं में प्लम्बरिंग कार्यों के पंजीकरण हेतु एकरूपता न होने के कारण भिन्न–भिन्न व्यवस्थायें अपनायी जा रही हैं और शाखा स्तर से भी समय–समय पर इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया जाता रहा है।

Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित Business Reform Action Plan 2024 में औद्योगिक इकाइयों के आन्तरिक एवं बाह्य जल स्थापना कार्य पंजीकृत प्लम्बर फर्मों के माध्यम से कराये जाने के दिशा–निर्देश जारी हैं। अतः जल संस्थान बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक इकाईयों में बाह्य जल स्थापना उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पंजीकृत प्लम्बर फर्मों से कराया जाना है। प्लम्बर फर्मों का पंजीयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

1– प्लम्बर फर्मों के पंजीकरण/नवीनीकरण का अधिकार अधिशासी अभियन्ता में निहित किया जाता है।

2– एक से अधिक शाखाओं में प्लम्बरिंग कार्यों हेतु पृथक–पृथक पंजीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

3– पंजीकृत प्लम्बर फर्मों की सूची अनिवार्य रूप से विभागीय वैबसाइट पर अपलोड की जानी होगी।

4– पंजीकरण मात्र 01 वर्ष हेतु किया जायेगा।

5– पंजीकरण हेतु अर्हतायें/फीस निम्नानुसार होंगी :–

<u>(अ) प्लम्बरिंग कार्यों हेतु मापदण्ड/अर्हतायें:</u>

(1) आवेदक मुख्यतः फिटर/प्लम्बर ट्रेड से आई.टी.आई. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है अथवा फर्म में फिटर/प्लम्बर ट्रेड से आई.टी.आई. योग्यताधारक कार्मिक कार्यरत होना अनिवार्य है।

(2) किसी अन्य व्यक्ति के आई.टी.आई. योग्यताधारक होने की दशा में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र।

(3) प्रोपराईटर के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है।

(4) फर्म का जी.एस.टी., पैन कार्ड एवं आधार कार्ड अनिवार्य है।

(5) फर्म की दुकान/कार्यालय/भण्डार जिस पर बोर्ड लगा हो, अनिवार्य है।

(6) फर्म की दुकान/कार्यालय/भण्डार में उपलब्ध टी. एण्ड पी. (Tools &

Plants) की सूची मूल्यांकन सहित।

(7) राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

(8) प्रोपराईटर का दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(9) पासपोर्ट साइज के दो फोटो (प्रोपराइटर/आई.टी.आई. योग्यताधारक)।

(10) उक्त समस्त प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति।

(11) जमानत राशि/एफ.डी.आर. (रू0 2500.00) मूल में।

(12) पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में पॉर्टनरशिप डीड।

(13) समस्त पार्टनरों के आधार कार्ड।

(14) विभाग में पत्राचार एवं कार्य कराये जाने हेतु अधिकृत पार्टनर का का विवरण शपथ पत्र के साथ।

(ब) लाइसेन्स फीस/नवीनीकरण फीस पूर्ववत् रहेंगी। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	विवरण	दरें (वार्षिक)
1	पेयजल सम्बन्धी कार्यों एवं संयोजन हेतु (नगरीय)	1000.00
2	पेयजल सम्बन्धी कार्यों एवं संयोजन हेतु (ग्रामीण)	1000.00
3	सीवर सम्बन्धी कार्यों एवं संयोजन हेतु (नगरीय/ग्रामीण)	1000.00
4	जमानत राशि	2500.00 (सकल)

(स) आवेदन पत्र एवं औजारों की सूची का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 : 2743 /वि0अनु0/02/प्ल0–पंजी0/2024–25 तद्दिनांक 14/8/24

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर. सूचनार्थ।
2. निदेशक, उद्योग, पटेल नगर, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान..................
4. सचिव (प्रशासन/अप्रैजल) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान............................
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान.......................
8. जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश/विकासनगर।
9. आदेश पॅजिका/गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोपरि।

#e-mail & G.W-App on dated 14/08/24 at 13:12

Signed by Neelima Garg
Date: 14-08-2024 12:39:08

मुख्य महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान
प्लम्बरिंग / सीवर लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटाग्राफ

1– फर्म का नाम व पता :..............................

2– प्रोपराईटर का नाम :..............................

3– आई.टी.आई. योग्यताधारक कर्मचारी प्लम्बर / फिटर का नाम :..............................

4– प्रोपराईटर की शैक्षिक योग्यता :..............................

5– फर्म के स्थायी कर्मचारियों के नाम अथवा विवरण :..............................

....

....

6– जी0एस0टी0 नं0 :..............................

7– पैन नं0 :..............................

8– आयकर देते हैं अथवा नहीं :..............................

यदि हाँ तो उसका विवरण :..............................

9– बैंक का नाम, पता एवं खाता संख्या :..............................

....

10– फर्म के कार्यालय का नाम पता व स्थान :..............................

....

11– उपलब्ध भण्डार सामग्री का अनुमानित मूल्य :..............................

12– भण्डार गृह का पता व स्थान :..............................

13– कार्य करने के लिये फर्म के पास कौन–कौन से औजार हैं :..............................

14– पंजीकरण की श्रेणी (पेयजल / सीवर) :..............................

15– मोबाइल नं0 :..............................

दिनांक :..............................

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम :
पता :

I/28089/2024

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।
Phone : 0135-2676260, E-Mail : cgm-js-ua@nic.in

आदेश संख्या : 2098 वि0अनु0 / 02 / प्ल0–रजि0 / 2024–25 दिनांक 21/08/24

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–2743 / वि0अनु0 / 02 / प्ल0–रजि0 / 2024–25 ई0प0–27858 / 2024 दिनांक 14–08–2024 द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक इकाइयों में बाह्य जल स्थापना पूर्व की भांति पंजीकृत प्लम्बरों से किये जाने, प्लम्बरिंग कार्यों हेतु लाइसेंस फीस / लाइसेंस नवीनीकरण फीस एवं जमानत राशि, तथा पंजीकरण हेतु अर्हताओं का निर्धारण किया गया है।

Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित Business Reform Action Plan 2024 में औद्योगिक इकाइयों के आन्तरिक एवं बाह्य जल स्थापना कार्य पंजीकृत प्लम्बर फर्मों के माध्यम से कराये जाने के दिशा–निर्देश जारी हैं।

अतः जल संस्थान के परिक्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक इकाइयों में बाह्य जल स्थापना की भांति आन्तरिक जल स्थापना उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पंजीकृत प्लम्बर फर्मों द्वारा ही किये जायेंगें।

2– उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।

(नीलिमा गर्ग)

मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 : 2095 / वि0अनु0 / 02 / प्ल0–पंजी0 / 2024–25 तद्‌दिनांक 21/08/24

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, उद्योग, पटेल नगर, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान..................
4. सचिव (प्रशासन / अप्रैजल) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान............................
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान......................
8. जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश / विकासनगर।
9. आदेश पॅजिका / गार्ड फाईल।

Signed by Neelima Garg
Date: 21-08-2024 16:12:35

मुख्य महाप्रबन्धक

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स : 0135-2676177
E-mail : cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

"जल भवन" बी0ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001

पत्रांकः 4120 /मु0म0प्र0/उ0ज0सं0/कार्यालय आदेश/ 2024-25 दिनांकः 10.10.2024

कार्यालय–आदेश

Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित Business Reform Action Plan 2024 के अनुपालन में औद्योगिक इकाईयों के आन्तरिक व बाह्य जल स्थापना कार्य पंजीकृत प्लम्बर फर्मो से कराये जाने के निर्देश कार्यालय आदेश पत्रांक 2885/वि0अनु0/02/प्ल0–रजि0/2024–25 दिनांक 21.08.2024 से पारित हैं। Business Reform Action Plan 2024 में अन्तरिक व बाह्य जल स्थापना कार्यो हेतु निम्न निर्देश भी सम्मिलित हैं, जिनका अनुपालन किया जाना है :–

1. Mandate the frequency of the following:
   a. Inspection by contractor/company that performed external and Internal installations
   b. Issuance of certificate of compliance by contractor/company
   c. Check quality of external and internal installation works by contractor/company
2. Mandate the quality check or final inspection by a third party to ensure the quality and safety of external and Internal water installations

अतः उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है कि जल संस्थान के परिक्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में विभागीय पंजीकृत प्लम्बर फर्मो के माध्यम से आन्तरिक व बाह्य जल स्थापना कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी जायेगी। पंजीकृत प्लम्बर फर्मो द्वारा जांचोपरान्त, प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी प्रति सम्बन्धित उपभोक्ता एवं शाखा कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

शाखाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके परिक्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक इकाइयों में आन्तरिक व बाह्य जल स्थापना कार्य होने के पश्चात प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता एवं सुरक्षा की थर्ड पार्टी जॉच करवायी जायेगी।

अतः उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

प्रतिलिपिः– निजी सचिव, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

मुख्य महाप्रबन्धक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, उद्योग, पटेलनगर, देहरादून।
2. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
3. सचिव (अप्रैजल/ प्रशासन) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
7. आदेश पंजिका ।

मुख्य महाप्रबन्धक

दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्स: 0135–2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान
'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

आदेश संख्या : 4372 / वि0अनु0 / 02 / प्ल0–रजि0 / 2024–25 दिनांक 24/10/24

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या–27858 / 2024, संख्या–2743 दिनांक 14–08–2024 द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक इकाइयों में बाह्य जल स्थापना पूर्व की भांति पंजीकृत प्लम्बरों से किये जाने, प्लम्बरिंग कार्यों हेतु लाइसेंस फीस / लाइसेंस नवीनीकरण फीस एवं जमानत राशि तथा पंजीकरण हेतु अर्हताओं का निर्धारण किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पंजीकरण / नवीनकरण का अधिकार अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता में निहित किया जाता है। पंजीकृत फर्मों का कार्यक्षेत्र भी सम्बन्धित वृत्त स्तर का होगा। पूर्व से पंजीकृत फर्मों का पंजीकरण निर्धारित अवधि तक मान्य होगा तथा इस अवधि में उनका कार्यक्षेत्र वृत्त स्तर का ही रहेगा, किन्तु इन फर्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण अधीक्षण अभियन्ता स्तर से किया जायेगा।

2– उक्त आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 : 4372 **/ वि0अनु0 / 02 / प्ल0–पंजी0 / 2024–25 तद्दिनांक** 24/10/24

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, उद्योग, पटेल नगर, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान.................
4. सचिव (प्रशासन / अप्रैजल) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान............................
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान......................
8. जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश / विकासनगर।
9. आदेश पॅजिका / गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक